भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1161
उत्तर देने की तारीख-30/07/2025

ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत संकाय भर्ती

1161 श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, एचसीयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थानों सहित अन्य संस्थानों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों के लगभग सभी संकाय पद रिक्त हैं, जबकि 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस संकाय पद स्वीकृत हैं;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या यह सच है कि ये रिक्तियां शिक्षक भर्ती के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों और केंद्र सरकार की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कोटा पात्रता की शर्तों के बीच विरोधाभास के कारण हैं; और
(घ) यदि हां, तो वर्तमान रिक्तियों को पूरा करने के लिए भर्ती मानदंडों में बदलाव की क्या योजना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) से (घ): केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक संवर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के व्यक्तियों सहित, सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह अधिनियम आरक्षण के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय/केंद्रीय शैक्षणिक संस्था के पृथक विभागों की बजाय एक इकाई मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण से संबंधित कठिनाई को दूर करता है। इस अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुरूप, शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.07.2019 को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 31 जनवरी, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्थापना/(आरईएस) में निर्दिष्ट तरीके से केंद्रीय शैक्षणिक संस्था में शिक्षक संवर्ग में संस्वीकृत पदों में से सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत सहित पदों का आरक्षण होगा।
रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और बढ़ी हुई विद्यार्थियों की संख्या के फलस्वरूप अतिरिक्त आवश्यकता के कारण रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इन पदों को भरने का दायित्व केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का है जो संसद के अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए स्वायत्त निकाय हैं। मिशन भर्ती के तहत विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से सितंबर, 2022 से अब तक 8150 से अधिक संकाय पद भरे जा चुके हैं, जिनमें से 415 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) द्वारा भरे गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को मिशन मोड में नियमित भर्ती अभियानों के माध्यम से रिक्तियों को भरने के निदेश दिए गए हैं।

*****